

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

हरिद्वार में नकली शैपू फैक्ट्री पकड़ी गई : क्लिनिक प्लस और सनसिल्क ब्रांड की नकल हो रही थी

Publisher

Published on 15 Sep 2025



हरिद्वार पुलिस और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शैपू फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस फैक्ट्री में क्लिनिक प्लस और सनसिल्क जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के नकली शैपू का उत्पादन किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार, यह नकली उत्पाद स्थानीय और ऑनलाइन बाजार में बड़े पैमाने पर बिक रहा था।

हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस फैक्ट्री की जांच के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शैपू की बोतलें, लेबल और पैकेजिंग सामग्री बरामद की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस फैक्ट्री में **क्लिनिक प्लस और सनसिल्क ब्रांड के शैपू का नकली उत्पादन** किया जा रहा था। उत्पादन की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसे पूरे उत्तर भारत में सप्लाई किया जा सकता था। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें नकली उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था।

फैक्ट्री के मालिक और संचालक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। अधिकारियों ने मामले की जांच तेज कर दी है और फैक्ट्री से संबंधित सभी दस्तावेज और सामग्री को जब्त कर लिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि नकली शैपू सिर्फ ब्रांड की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए रसायन मानक के अनुसार सुरक्षित नहीं होते। त्वचा और बालों में जलन, एलर्जी और डैंड्रफ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लंबे समय तक उपयोग से हेयर फॉल और बालों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

हरिद्वार पुलिस ने चेताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के संदिग्ध उत्पाद खरीदता है, तो उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।

क्लिनिक प्लस और सनसिल्क की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। कंपनियों ने कहा कि वे इस तरह के नकली उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल अधिकृत दुकानों और ऑनलाइन

प्लेटफॉर्म से ही उत्पाद खरीदें। कंपनियों ने कहा कि इस तरह के मामले उनके ब्रांड की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं और वे इस पर कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे।

फैक्ट्री के मालिक और संचालक के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें:

1. फूड और ड्रग एक्ट का उल्लंघन
2. ब्रांड का नकली उत्पादन और धोखाधड़ी
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन

पुलिस ने फैक्ट्री से बरामद नकली शैंपू और पैकेजिंग सामग्री को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नकली उत्पाद बनाने वाली यह फैक्ट्री बड़े पैमाने पर काम कर रही थी और इसके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

सुरक्षा के उपाय और उपभोक्ता चेतावनी :

विशेषज्ञों और अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे हमेशा निम्न सावधानियों का पालन करें:

- अधिकृत दुकानों से खरीदारी करें।
- उत्पाद की पैकेजिंग और सील की जांच करें।
- अत्यधिक सस्ते दाम पर उत्पाद खरीदने से बचें।
- संशयास्पद उत्पाद के बारे में तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।

हरिद्वार में पकड़ी गई नकली शैंपू फैक्ट्री ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि नकली उत्पाद न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं बल्कि कानूनी और आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।

क्लिनिक प्लस और सनसिल्क जैसे ब्रांडों के नकली उत्पाद पूरे उत्तर भारत में बिक रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्क कार्रवाई से यह भंडाफोड़ हुआ। अब यह जिम्मेदारी है कि उपभोक्ता सतर्क रहें और केवल प्रमाणित स्रोतों से ही उत्पाद खरीदें।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.